JALAUN POLICE

दिनांक – 13.02.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना चुर्खी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 10/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस व 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट, मु0अ0स0 11/2025 धारा 119(2)/119(3)/109/352/131 बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व मु0अ0सं0 12/2025 धारा 191(2)/126(2)/352/351(2)/132/121(1) /121(2) /324(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.01.2025 को वादी बुद्ध सिंह पुत्र अशोक निवासी ग्राम चुर्खी थाना चुर्खी जनपद जालौन के साथ जाति सूचक गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना चुर्खी में मु0अ0सं0 0010/2025 धारा 115(2)/352/351(2) BNS व 3(2)(5A) SC/ST ACT बनाम 1.जयवीर सिंह ठाकुर पुत्र रामकरन 2.शिववीर पुत्र रामकरन निवासीगण ग्राम चुर्खी थाना चुर्खी जनपद जालौन पंजीकृत किया गया था। उसके बाद अभियुक्त जयवीर सिंह उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ वादी के चचेरे भाई चन्द्रभान को गोली मार दी गयी जिसके सम्बन्ध में वादी श्री जगदीश पुत्र लच्छीराम नि0 ग्राम चुर्खी थाना चुर्खी जनपद जालौन की तहरीर के आधार पर थाना चुर्खी में मु0अ0सं0 11/2025 धारा 191(2)/191(3)/109/352/131 बीएनएस व 3(2)(5) SC/ST ACT बनाम जयवीर पुत्र रामकरन आदि 09 नफर व 04 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थाना चुर्खी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये गये तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता करते हुये सरकारी कार्य मे बाधा डाली गयी तथा पुलिस से छुड़ा कर मौके से भाग जाने के सम्बन्ध में दिनांक 26.01.2025 को थाना चुर्खी में मु0अ0सं0 12/2025 धारा 191(2)/126(2)/352/351(2)/132/121(1)/121(2)/324(2) बीएनएस व 7 C LA Act बनाम जयवीर सिंह पुत्र रामकरन आदि 12 नफर व 25 से 30 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दिनांक 27.01.2025 को अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।

थाना चुर्खी पुलिस द्वारा दिनांक 12.02.2025 को अभियुक्त जयवीर सिंह पुत्र रामकरन उर्फ करन सिंह निवासी ग्राम व थाना चुर्खी जनपद जालौन को 31 आर्टलरी ब्रिगेड कैम्प केन्ट झांसी से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. जयवीर सिंह पुत्र रामकरन उर्फ करन सिंह निवासी ग्राम व थाना चुर्खी जनपद जालौन उम्र करीब 31 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 214/2015 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना चुर्खी
2. मु0अ0सं0 39/2018 धारा 323/336/504/506/325 भादवि थाना चुर्खी
3. मु0अ0सं0 10/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस व 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट थाना चुर्खी
4. मु0अ0सं0 11/2025 धारा 191(2)/191(3)/109/352/131 बीएनएस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना चुर्खी
5. मु0अ0सं0 12/2025 धारा 191(2)/126(2)/352/351(2)/132/121(1)/121(2)/324(2) बीएनएस व 7 CLA Act थाना चुर्खी

पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चुर्खी मय पुलिस टीम।